संख्या-46/2016/590/35-3-2016-1(101)/2010

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक, 31 मार्च 2016**

विषय: गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वर्ष 2015-2016 आयोजनागत (आवर्तक) अनुदान की तृतीय एवं चतुर्थ किश्त की कुल धनराशि रू0 20,00,000/- लाख (रू0 बीस लाख मात्र) की मैंचिंग ग्रान्ट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-194/ले0-91/2004, दिनांक 04 मार्च, 2016, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफनं0 5.11/2015/ आर.आई.,दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 19;01;2016 द्वारा आयोजनागत (आवर्तक) अनुदान की तृतीय एवं चतुर्थ किश्त की कुल धनराशि रू0 20,00,000/- लाख (रू0 बीस लाख मात्र) स्वीकृत करते हुए पत्र दिनांक 30.12.2015 एवं पत्र दिनांक 12.02.2016 द्वारा अवमुक्त किया गया है। वर्तमान में राज्यांश के आयोजनागत (आवर्तक) अनुदान की मद में धनराशि रू0 31,00,000/- अवशेष है। आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत श्री राज्यपाल महोदय भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा उक्त स्वीकृत आयोजनागत केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 20,00,000/- लाख (रू0 बीस लाख मात्र) आयोजनागत (आवर्तक) अनुदान की मद के अन्तर्गत राज्यांश की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- अनुदान का भुगतान करने के लिए बिल आहरण हेतु गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा एवं उस पर अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

3- अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- कोषागार में उतनी ही धनराशि समय-समय पर संस्थान द्वारा आहरित की जायेगी, जिसके भुगतान की तात्कालिक आवश्यकता हो,कोषागार से आहरित की जाने वाली धनराशि की आवश्यकता का आंकलन/परीक्षण जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत मद में सस्थान के सम्बन्धित बैंक आदि खातों में उपलब्ध धनराशि के आधार पर करते हुए यथा आवश्यक धनराशि के आहरण हेतु बिल प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। -2-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उपरोक्त अनुदान का कोई भी भाग ऊपर वर्णित मदों के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। अनुदान की आगामी किश्त की मांग के समय उपर्युक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।

6- इस अनुदान पर राजाज्ञा संख्या-ए-2364/दस-17/2(1)/67, दिनांक 20जुलाई, 1971 के संलग्नक में निहित अनुदान के नियम लागू होंगें।

7- उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृत अनुदान के लेखे-जोखे पृथक से रखे जायेंगें तथा उनका निरीक्षण,महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की इच्छा अनुसार किसी भी समय किया जा सकेगा तथा परीक्षण राज्य सरकार के नियोजन विभाग के अधिकारियों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जब कभी वे चाहेंगें, किया जायेगा।

8- संस्थान को स्वीकृत उक्त अनुदान का उपभोग प्रमाण-पत्र संस्थान द्वारा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, लखनऊ के माध्यम से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत भेजा जायेगा। आगामी किश्त की मांग के समय वित्तीय वर्ष 2014-15 के व्यय के आडिटेड ब्यौरों को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

9- प्रशासकीय विभाग द्वारा तृतीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत ही चतुर्थ किश्त निर्गत की जायेगी।

10- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-294/दस-2016, दिनांक 31 मार्च में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

संख्या-46/2016/590(1)/35-3-2016,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीहेतु पे्षित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3- वरिष्ठ आडिट आफीसर(आडिटर प्लानिंग)कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन,15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in